न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–25 सन् 1996

सर्जन सिंह.....वादी।

बनाम

रामकिशोर साह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.03.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4, धारा–5 लिमिटेशन एक्ट तथा आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 06.03.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद प्रतिवादी सं0 01 राम किशोर साह की मृत्यु दिनांक 24.03.2021 को कोलकता में हो गई है। प्रतिवादी सं0 01 के विधवा पत्नी मालती देवी तथा चार पुत्र प्रेम किशोर गुप्ता, राजेन्द्र कुमार साह, अजय कुमार गुप्ता, संजय कुमार वो एक पुत्री सरिता देवी जौजे उमेश साह वारिसान के रूप में कायम है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 का नाम अर्जीदावी से काटकर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 01 राम किशोर साह का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा 5 के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन पर नो ऑब्जेक्श लिखा गया है तथा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 राम किशोर साह की मृत्यु दिनांक 24.03.2021 को हो गई है। वादी उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 राम किशोर साह के विधवा पत्नी मालती देवी तथा चार पुत्र प्रेम किशोर गुप्ता, राजेन्द्र कुमार साह, अजय कुमार गुप्ता, संजय कुमार वो एक पुत्री सरिता देवी जौजे उमेश साह कानूनी वारिसान के रूप

दाखिल करने हेतु  आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है परंतु प्रतिवादी की ओर से वादी के प्रतिस्थापना आवेदन पर नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। अतः वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना को विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक .....अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।